रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 41] नई दिल्ली, अक्तूबर 30—नवम्बर 5, 2016, शनिवार/कार्तिक 8—कार्तिक 14, 1938

No. 41] NEW DELHI, OCTOBER 30—NOVEMBER 5, 2016, SATURDAY/KARTIKA 8—KARTIKA 14, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2016

सा.का.नि. 199.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर (गोदाम लिपिक और उत्पाद-शुल्क लिपिक) भर्ती नियम, 1981, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर में गोदाम लिपिक-सह-उत्पाद-शुल्क लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय चीनी संस्थान, गोदाम लिपिक–सह-उत्पाद-शुल्क लिपिक, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,.–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
गोदाम लिपिक-सह-उत्पाद-शुल्क लिपिक	01*(2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 रु॰19900-63200/-

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।) टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निश्चित तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर - अध्यक्ष (2) किसी भी शिक्षण का सहायक आचार्य, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर - सदस्य (3) तकनीकी अधिकारी या कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर - सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए-12018/13/2016-एस.ए.]

राजीव महेंद्रू, उप सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

New Delhi, the 25th October, 2016

G.S.R. 199.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Sugar Institute, (Godown Clerk–cum-Excise Clerk) Recruitment Rules, 1981, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Godown Clerk-cum-Excise Clerk in the National Sugar Institute, Kanpur in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely :—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Godown Clerk-cum-Excise Clerk, (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2016.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of Post	Classification	Level in the Pay Matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Godown Clerk-cum-Excise Clerk	01*(2016) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 in the Pay Matrix: Rs.19900-63200/-

Whether Selection or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government Servants upto the age of forty years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.) **Note 2:** In the case of appointment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit names.	12th pass from a recognised Board or University.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of:-** (1) Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Chairman	Not applicable

	(2) Assistant Professor of any discipline, National Sugar Institute, Kanpur - Member (3) Technical Officer or Junior Technical Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Member	

[F. No. A-12018/13/2016-SA]

RAJIV MAHENDRU, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2016

सा.का.नि. 200.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1958, का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में, राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर में छात्रावास अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का नियमन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान छात्रावास अधीक्षक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा.

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5 शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
छात्रावास अधीक्षक	01*(2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग' गैर-अनुसचिवीय, अराजपत्रित	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर-4

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने हेतु निर्णायक तारीख भारत में आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजारम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर का लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले, तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खण्ड और अण्डमान और निकोबार अथवा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों हेतु आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख।	आवश्यक: (1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। (2) भंडार अथवा भंडार की खरीद के संबंध में दो वर्ष का अनुभव अथवा खान-पान और होटल प्रबंधन में अनुभव। वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से खान-पान एवं होटल प्रबंधन में डिप्लोमा।

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों पर भी लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : क्या यह सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा होगी और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिस से पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, उसकी संरचना क्या है।	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नोक्त सम्मिलित होंगे: (1) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -अध्यक्ष (2) तकनीकी अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर -सदस्य (3) कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/6/2016-एस.ए.]

राजीव महेन्द्रू, उप सचिव

New Delhi, the 27th October, 2016

G.S.R. 200.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sugar Institute, Kanpur (Group 'C' post) Recruitment Rules, 1958, in so far as they relate to the post of Hostel Superintendent, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Hostel Superintendent, in National Sugar Institute, Kanpur in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, National Sugar Institute, Hostel Superintendent, (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification pay band and grade pay or pay scale.**—The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay Matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Hostel Superintendent	1* (2016) *Subject to variation dependent on work-load.	Group 'C' Non-Ministerial, Non-Gazetted	Level-4 in Pay Matrix

Whether selection post or non selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable	Between 18 and 25 years (relaxable for Government servants upto the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	**Essential:** (i) 12th standard pass from a recognised Board or University. (ii) Two years experience in handling stores and store purchase or experience in catering and Hotel Management. **Desirable :** Diploma in Catering and Hotel Management from a recognised Institution.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct Recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	Direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, the grade from which promotion or deputation / absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Departmental Promotion Committee (for considering confirmation), consisting of :-** (1) Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Chairman (2) Technical Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Member (3) Junior Technical Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Member	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12018/6/2016-SA]

RAJIV MAHENDRU, Dy. Secy.

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2016

सा.का.नि. 201.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, (ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती संशोधन नियम,2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2005 की अनुसूची में;-

(i) "स्तंभ 4" में

(क) स्तंभ के शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक रखा जाएगा; अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर";

(ख) प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी; अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11";

(ii) "स्तंभ 12 में"; -

(क) प्रोन्नति शीर्ष के अधीन –"7500-12000 रुपए" अंकों और शब्द के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) प्रतिनियुक्ति शीर्षक के अधीन;

"8000-13500 रुपए के वेतनमान" अंकों और शब्द के स्थान पर

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 21/05/2016-सीजीडब्ल्यूबी]

[illegible]

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 198, तारीख 11 जून, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, तत्पश्चात सा.का;नि. संख्या 44, तारीख 20 फरवरी, 2010 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 24th October, 2016

G.S.R. 201.—In the exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Ground Water Board (Senior Administrative Officer) Recruitment Rules, 2005 namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Ground Water Board (Senior Administrative Officer) Recruitment Amendment Rules, 2016.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Ground Water Board (Senior Administrative Officer) Recruitment Rules, 2005, in the Schedule,-

(i) "in column 4,-

(a) for the column heading, the following column heading shall be substituted, namely:-

"LEVEL in the PAY MATRIX";

(b) for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"LEVEL - 11 in the PAY MATRIX";

(ii) "in column 12,-

(a) under the heading **Promotion**, for the brackets, letters and figures "(Rs. 7500-12000)" the words and figure "Level-8 in the pay matrix" shall be substituted;

(b) under the heading **Deputation**:, for the words, letters and figures "Scale of pay of Rs. 8000-13,500", the words and figure "**LEVEL-9 in the PAY MATRIX**" shall be substituted.

[F. No. 21/05/2016-CGWB]

AJAY KUMAR, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 198 dated the 11th June, 2005 and subsequently amended vide number G.S.R. 44 dated the 20th February, 2010.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR Digitally signed by HARINDRA KUMAR Date: 2016.11.10 10:53:35 +05'30'